भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 440
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना

440. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए महाराष्ट्र में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र में जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : महाराष्ट्र सहित भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुगम बनाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं: -

i. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय संरचना प्रदान करती है।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के तहत, एमओआरटीएच ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के कार्यों और पंजीकरण के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरणीय नियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की पुनप्राप्ति के लिए प्रयोग अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) को प्रदूषण-मुक्त करने और विघटन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश में आरवीएसएफ का विवरण URL https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/rvsfdetails.xhtml पर उपलब्ध है ।

iii. भारत सरकार ने पर्यावरणानुकूल तरीके से खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित रख-रखाव, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, शोधन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 अधिसूचित किया है।

जारी.....2/-

iv. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त वाले वाहन) नियम, 2025 लागू किया है, जो पर्यावरणानुकूल तरीके से प्रयोग की अवधि समाप्त वाहन (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य बनाता है जिसके तहत वाहन उत्पादकों की वाहन के प्रकार और प्राप्त सामग्री के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

v. पोतों के सुरक्षित और पर्यावरणानुकूल तरीके से पुनर्चक्रण को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया है।

****